

# फर्द अहकाम

कार्यालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) एवं उपखण्ड अधिकारी मावली, उदयपुर

प्रार्थी पुकारा विपक्षी श्रीमाबाठ  
 किस्म मुकदमा 53, 1882-10 पत्रावली संख्या 48/2 सन् \_\_\_\_\_

क्रमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई
	<p>12/9/24                      वकूलाय वादी / प्रतिवादी उप. साह्यवादी                      के लिये मौका चाहते है। अतः <u>अंतिम</u>                      भवसर दिया जाकर पत्रावली दिनांक <u>12/12/24</u>                      को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;">SDO, मावली</p> <p>12/12/24                      वकूलाय वादी / प्रतिवादी उप. साह्यवादी                      के लिये मौका चाहते है। अतः <u>स्वतः बंकीशर्तकर</u>                      भवसर दिया जाकर पत्रावली दि. <u>10/1/25</u>                      को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;">(SDO) मावली</p> <p>10/1/25                      पत्रावली पेश हुई। अति. प्रार्थी उप. /                      अति. प्रार्थी द्वारा साह्यवादी का उत्तर                      पत्रावली / अंतिम अवरुद्ध स्वतः बंकीशर्तकर                      दिया जाकर पत्रावली वास्तु साह्यवादी                      दिनांक 14/2/25 को पेश हुई।</p> <p>14/2/25                      आज दिनांक की वार एसोसियेशन मावली                      नें कार्य स्थगित रखने का अनुरोध किया।                      अतः पत्रावली पूर्व आदेशनुसार दिनांक....                      .....<u>28/3/25</u>.....को पेश हो।</p> <p>28/3/25                      आज दिनांक की वार एसोसियेशन मावली                      नें कार्य स्थगित रखने का अनुरोध किया।                      अतः पत्रावली पूर्व आदेशनुसार दिनांक....                      .....<u>2/5/25</u>.....को पेश हो।</p>	



02/5/25

पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता वादी  
मय वादी अनुपस्थित। अधिवक्ता वादी मय  
वादी को निरन्तर आवाजे दिलवाई गई।  
समय साँच 5:00 PM हो चुके हैं। अधिवक्ता  
वादी मय वादी अब तक अनुपस्थित हैं। अतः  
अधिवक्ता वादी मय वादी अनुपस्थित रहने पर  
वादी का वाद अदम हाजरी अदम पेंची में  
आरिज किया जाता है। पत्रावली फैसल सुमर  
होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय सुले न्यायालय सुनाया गया।



सहायक कलक्टर  
(फास्ट ट्रेक) नावली